



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-644

New Delhi: 25.08.2020

Sh. Rakesh Kumar Sharma
S/o Sh. Hardayal Sharma
H. No. 19/213, Gali No. 6
Hanumaan Puri, Mahendra Nagar
Post- Gambhirpura, Tehsil- Kol
District-Aligarh, UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 24.07.2020 received through CGM/Tundla's office on 25.08.2020.

You have submitted your above RTI application at CGM/Tundla's office. The CGM/Tundla's office, here the deemed PIO, has forwarded the same along with copy of information sought to this office which is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

(S.K. Roy)

Dy. G.M./Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

DA: 01 sheet



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांक:- 11.08.2020

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विद्युत

डी० एफ० सी० सी० आई० एल०


टूडला,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा, निवासी- म. न. 19/213, गली न. 6, हनुमानपुरी महेन्द्र नगर जनपद- अलीगढ़ के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1. श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा, निवासी- म. न. 19/213, गली न. 6, हनुमानपुरी महेन्द्र नगर पोस्ट गम्भीरपुरा जनपद- अलीगढ़ के पत्र दिनांक 24.07.2020 मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय में पत्र प्राप्त दिनांक 31.07.2020.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा, निवासी- म. न. 19/213, गली न. 6, हनुमानपुरी महेन्द्र नगर जनपद- अलीगढ़ के द्वारा जिस गाटे संख्या का उल्लेख किया है वह गाटा संख्या 23/1 एवं खाता संख्या 49 प्रार्थी श्री राकेश कुमार शर्मा के नाम पर नहीं है अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8.1-(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है। जिसके तहत प्रार्थी को उक्त गाटे के सम्बन्ध में जानकारी दे पाना संभव नहीं है।


11/08/2020

अंशुल राजपूत

(उप परियोजना प्रबंधक / विद्युत / अलीगढ़)

डी०एफ०सी०सी०आई०एल०